(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड ३, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली,   ७ अप्रैल , २००४

अधिसूचना

सा.का.नि. १२९ - दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००२ का प्रारुप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. २३१ तारीख ५ जून, २००२ के अधीन, तारीख २२ जून, २००२ के पृष्ठ सं०-११९९-१२४३ पर प्रकाशित किया गया था और जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को ८ जुलाई, २००२ को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रुप से विचार कर लिया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९६४ और अनाज श्रेणी नियम, १९६६ (काबुली चना और देशी चना/बंगाली चना) का उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

१. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :-** (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००३ है ।

(२) ये उड़द (फेसियोलस मूंगो लिन्न), मूंग (फेसियोलस आरयूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेटस राक्सब), मसूर (लेन्स एसकूलेन्टा मोंच या लेन्स क्यूलीनरिस मेडिक या एखम लेन्स लिन्न), अरहर/तुअर (काजानस काजान), काबुली चना (शिसर ऐरियेनटिनम लिन्न), चना-बंगाली चना (शिसर ऐरियेटिनम लिन्न), मटकी/मोठ (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस), मटर (पाइजम आरवेन्स), राजमा (फेसियोलस वलगरिस), लोबिया (वाइगना साइनेसिस) दालों के साबुत छिलका सहित और छिलका रहित रुपों को लागू होंगे ।

(३) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

२. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे दालों का इन नियमों

----२

में विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार श्रेणीकरण और उन्हें चिन्हांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को, दालों का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ अभिप्रेत हैं;

(ड.) "श्रेणी अभिधान चिन्ह" से नियम ५ में निर्दिष्ट एगमार्क अधिचिन्ह अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं ।

३. **श्रेणी अभिधान :** दालों की क्वालिटी को उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची २ से १९ के स्तम्भ १ में वर्णित रुप में होंगे ।

४. **क्वालिटी :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए, दालों की क्वालिटी और साधारण अपेक्षाएं वे होंगी जो क्रमशः अनुसूची २, ५, ८, १०, १२, १३, १५, १७, १८, १९, के स्तम्भ २ से ८ में तथा अनुसूची ३, ४, ६, ७, ९, ११, १४ और १६ के स्तम्भ २ से ९ में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई हैं ।

५. **श्रेणी अभिधान चिन्ह :** श्रेणी अभिधान चिन्ह में ऐसी डिजाइन होगी जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची १ में यथावर्णित एक के सदृश श्रेणी अभिधान समाहित होंगे ।

६. **पैक करने का ढंग :** (१) दालों को ऐसी बोरियों/पटसन की बोरियों पोलीव्यूतित बैगों, पोलि पोचों, कपड़े के बैगों या अन्य उपयुक्त ऐसे पैक्जों में पैक किया जाएगा जो स्वच्छ, मजबूत, कीटों, फफूंदी के आकीर्णन से मुक्त हों तथा पैक करने की सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन अनुज्ञात की गई सामग्री होगी ।

(२) दालों को ऐसे आधानों में पैक किया जाएगा जो उत्पादों की स्वास्थ्यकर पोषणिक, तकनीकी और आरगनो लेप्टिक क्वालिटी की रक्षा करेंगे ।

(३) आधान, जिनके अंतर्गत पैकेजिंग सामग्री भी है, ऐसे पदार्थों से बनाए जाएंगे जे उनके आशयित उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हों वे कोई भी विषाक्त पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुगंध उत्पाद में न लगा पाएं ।

(४) एक पैकेज में शुद्ध दाल का भार, भार और माप मानक (पैक युक्त वस्तुएं) नियम, १९७७ के अधीन विहित उपबंध के अनुसार होगा ।

(५) प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म की और एक ही श्रेणी अभिधान की दालें होंगी ।

(६) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रुप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा ।

७. चिन्हांकन का ढंग :- (१) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त

----३

उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ११ के अनुसार चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा ।

(२) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक लेबल या पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टयां स्पष्टतः और पहचाने जाने योग्य रुप में चिन्हांकित की जाएंगी :-

(क) पैकर का नाम और पता ;

(ख) पैक किए जाने का स्थान :

(ग) पैक किए जाने की तारीख ;

(घ) लॉट/बैच संख्या ;

(ड.) कुल वजन ;

(च) श्रेणी ;

(छ) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित)

(ज) ------------------- मास --------------- वर्ष से पूर्व उत्कृष्ट ।

(३) पैकेजों पर चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो उत्पाद को संदूषित न करें ।

(४) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड चिन्हांकित करेगा । परन्तु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

८. प्राधिकार प्रमाण-पत्र की विशेष शर्तें :- साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ३ के उपनियम (८) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजन के लि जारी प्रत्येक प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें होंगी,

(i) प्राधिकृत पैकर दालों के परीक्षण के लिए या तो अपने स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित श्रेणीकरण प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ।

(ii) परिसर पूर्ण स्वास्थ्य कारक और स्वच्छता की दशाओं से युक्त होंगे जिनमें उचित समवातन होगा तथा प्रकाश की सही व्यवस्था होगी । इस संक्रियाओं में लगे कार्मकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संसर्गज, संक्रामक या संचारी रोग से मुक्त होंगे ।

(iii) उक्त परिसरों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी जिनका पक्का पर्श होगा तथा कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से मुक्त होंगे ।

(iv) प्राधिकृत पैकर परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, मुद्रांकन और अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो कृषि विपणन सलाकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

-----४

अनुसूची-१

(नियम ५ देखें)

(एगमार्क अधिचिन्ह का डिजाइन)

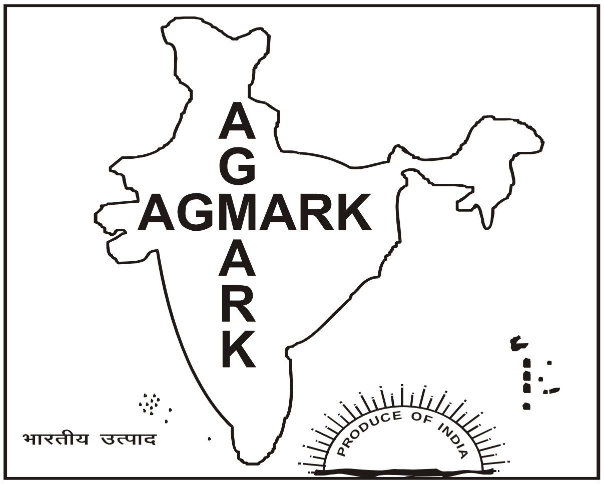

वस्तु का नाम --------------------

श्रेणी ---------------------------

----५

अनुसूची-२

(नियम ३ और ४ देखें)

उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	२.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	४.०
सामान्य	१४.००.७५	०.२५	३.०	५.०	६.०	

टिप्पण: विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं
८

उड़द साबुत

क. दाल (फेसियोलस मूंगों लिन्न) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थो (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

-----६

अनुसूची-३

(नियम ३ और ४ देखें)

उड़द दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा
	विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

१	आर्द्रता (अधिकतम) २	विजातीय पदार्थ कार्बनिक ३	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक ४	अन्य खाद्यान्न दाने ५	क्षतिग्रस्त विखंडित दाने ६	टूटे हुए और गिनती में प्रतिशत ७	घुने हुए दाने ८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	०.५	१.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	२.०	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	५.०	५.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

उड़द दले हुए (छिलके सहित)

क. छिलके युक्त होंगे और दाल (फेसियोलस मूंगों लिन्न) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

-----७

अनुसूची-४

(नियम ३ और ४ देखें)

उड़द दले हुए (छिलका रहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा
	विशेष अपेक्षाएं

सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)

आर्द्रता | विजातीय पदार्थ | अन्य खाद्यान्न | क्षतिग्रस्त | टूटे हुए और | घुने हुए दाने

		कार्बनिक	अकार्बनिक	दाने	विखंडित दाने	गिनती में प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	२.०	१.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	४.०	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	५.०	६.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

उड़द दले हुए (छिलका रहित)

क. छिलके रहित होंगे और दाल (फेसियोलस मूंगों लिन्न) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

-----८

अनुसूची-५

(नियम ३ और ४ देखें)

मूंग (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७

विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	२.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	४.०
सामान्य	१४.००.७५	०.२५	३.०	५.०	६.०	

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

८

मूंग (साबुत)

क. दाल ग्रीन ग्राम (फेसियोलस ओर्यूस राक्सब या पेसियोलसरेडियेट्स राक्सब) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

-----९

अनुसूची-६

(नियम ३ और ४ देखें)

मूंग दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	१.०	१.०

मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	३.०	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	५.०	६.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

मूंग दले हुए (छिलका सहित)

क. छिलके सहित होंगे और दाल ग्रीन ग्राम (फेसियोलस ओर्यूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेट्स राक्सब) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

----१०

अनुसूची-७

(नियम ३ और ४ देखें)

मूंग दले हुए (छिलका रहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)						
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त विखंडित दाने	टूटे हुए और गिनती में प्रतिशत	घुने हुए दाने
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं ०.१	०.५	०.५	१.०	
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	२.०	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	५.०	५.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

मूंग दले हुए (छिलका रहित)

क. छिलके रहित होंगे और दाल ग्रीन ग्राम (फेसियोलस ओर्‌यूस राक्सब या फेसियोलस रेडियेट्‌स राक्सब) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---११

अनुसूची-८

(नियम ३ और ४ देखें)

मसूर (लेन्टिल) साबुत का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.१	०.५	२.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	४.०
सामान्य	१४.००.७५	०.२५	३.०		५.०	६.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

८

मसूर (साबुत)

क. दाल लेन्टिल (लैंस एक्सकूलेन्टा मोंच या लैंस क्यूलीमेरिस मेडिक या एरवम लैंस लिन्न) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

----१२

अनुसूची-९

(नियम ३ और ४ देखें)

मसूर (लेन्टिल) दले हुए (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)						
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	०.५	०.१	१.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.५	२.०	०.५	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	२.०	५.०	१.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

मसूर (छिलका सहित)

क. छिलके सहित होंगे और लेन्टिल (लैंस एक्सकूलेन्टा मोंच या लैंस क्यूलीमेरिस मेडिक या एरवम लैंस लिन्न) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---१३

अनुसूची-१०

(नियम ३ और ४ देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) साबुत का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.५	०.५	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	२.०	५.०
सामान्य	१४.००.७५	०.२५	५.०		५.०	१०.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

अरहर/तुअर साबुत :

क. दाल (गाजानस काजान) के सूखे, परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---१४

अनुसूची-११

(नियम ३ और ४ देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) दली हुई (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा — विशेष अपेक्षाएं — सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)						
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	०.५	२.०	१.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	०.२	२.०	५.०	२.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	०.५	५.०	८.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

अरहर/तुअर दली हुई (छिलका सहित)

क. छिलके सहित होंगे और दाल (काजानस काजान) के दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;
ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;
घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;
ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;
च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;
छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---१५

अनुसूची-१२
(नियम ३ और ४ देखें)
काबुली चना का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.५	०.५	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	२.०	६.०
सामान्य	१६.०	०.७५	०.२५	४.०	५.०	१०.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

काबुली चना
क. चने (शिसर एरियाटिनम) के सूखे बीज होंगे;
ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;
ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ.   कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड.   विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च.   मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ.   फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---१६

अनुसूची-१३

(नियम ३ और ४ देखें)

चना साबुत (बंगाल ग्राम) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.५	०.५	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	२.०	६.०
सामान्य	१६.०	०.७५	०.२५	४.०	५.०	१०.०

टिप्पणः   विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

चना साबुत (बंगाल ग्राम)

क. चने (शिसर एरियाटिनम लिन्न) के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग.   जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ.   कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ङ. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---१७

अनुसूची-१४

(नियम ३ और ४ देखें)

चना दले हुए (छिलका सहित)/दाल चना का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा — विशेष अपेक्षाएं — सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)						
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त दाने	टूटे हुए	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.५	०.५	०.५	१.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	१.०	२.०	२.०	२.०
सामान्य	१६.०	०.७५	०.२५	२.०	५.०	५.०	३.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

चना दले हुए (छिलका सहित)/दाल चना

क. चने के (शिसर एरियोटेनम लिन्न) के छिलके सहित और दले हुए दाने होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

अनुसूची-१५

(नियम ३ और ४ देखें)

मटकी/मोठ (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	१.०	१.०	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	३.०	३.०	५.०
सामान्य	१४.००.७५	०.२५	६.०	५.०	१०.०	

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

मटकी/मोठ (साबुत)

क. दाल (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस) के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड.   विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च.   मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ.   फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

----१९

अनुसूची-१६

(नियम ३ और ४ देखें)

मटकी/मोठ दली हुई (छिलका सहित) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)						
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न दाने	क्षतिग्रस्त दाने प्रतिशत में	टूटे हुए	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	१.०	०.५	२.०	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	३.०	१.०	३.०	५.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	६.०	३.०	५.०	१०.०

टिप्पणः   विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

मटकी/मोठ दली हुई (छिलका सहित)

क. दाल (फेसियोलस एकोनीटाइफोलियस) के छिलके सहित और दले हुए बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ.   कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---२०

अनुसूची-१७

(नियम ३ और ४ देखें)

मटर (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	०.५	०.५	३.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	२.०	६.०
सामान्य	१६.०	०.७५	०.२५	४.०	५.०	१०.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

मटर (साबुत)

क. पाइजम आरवेन्स के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

----२१

अनुसूची-१८
(नियम ३ और ४ देखें)
राजमा का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२.०	२.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	४.०	६.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	६.०	५.०	१०.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

राजमा

क. फेसियोलस वलगरिस के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

----२२

अनुसूची-१९
(नियम ३ और ४ देखें)
लोबिया का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	विशेष अपेक्षाएं					
	सह्यता की अधिकतम सीमाएं (भार में प्रतिशत)					
	आर्द्रता	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	घुने हुए दाने गिनती में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०.०	०.१०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२.०	२.०
मानक	१२.०	०.५०	०.१०	२.०	४.०	६.०
सामान्य	१४.०	०.७५	०.२५	६.०	५.०	१०.०

टिप्पणः विजातीय पदार्थ में, पशु मूल के अपद्रव्य में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

साधारण अपेक्षाएं

९

लोबिया

क. वाइगना साइनेसिस के सूखे और परिपक्व बीज होंगे;

ख. ताजे, साफ, दुरस्त, आकार, बनावट, रंग में एक से और ठोस विपण्य स्थिति में होंगे;

ग. जीवित और मृत कीटों, कवकों (फफूंद) आकीर्णन, मिलाई गई रंग सामग्री, फफूंदी, दुर्गन्ध, धब्बों से मुक्त होंगे;

घ. कृन्तक चिकुर और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

ड. विषाक्त या अनिष्ट कर बीजों से अर्थात् क्रोटेलेरिया (क्रोटोलेरिया स्प०), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा गिथागो एल), एरण्ड बीज (रिसिनस कम्यूनिस एल), धतूरा (धतूरा स्प०), आरगमोन मैक्सीकन, खेसरी और ऐसे अन्य बीजों से, जिन्हें सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकर रुप में मान्यता दी जाती है, मुक्त होंगे;

च. मूत्राम्ल और एफलाटोक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मिलीग्राम और ३० मॉइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

छ. फसल संदूषकों (नियम ५७-क), कीटनाशी का उपयोग (नियम ६५), जहरीली धातुओं (नियम ५७), प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख) तथा समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित अन्य उपबंधों के संबंध में निर्बन्धनों का पालन करेंगे ।

---२३

पाद टिप्पणः दाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९६४ भारत के राजपत्र में सा.का.नि. ११३५, तारीख १५-८-१९६५ के तहत प्रकाशित किए गये थे ।

स्पष्टीकरण :-

इन नियमों के प्रयोजन के लिए —

(१) "विजातीय पदार्थ" से खाद्यान्नों से भिन्न कोई ऐसा असंगत/बाह्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित है -

(क) "अकार्बनिक पदार्थ" के अंतर्गत धातु के टुकड़े, धूल, बालू, कंकड, पत्थर, गंदगी, रोड़ी, मिट्टी, मृत्तिका और कीचड़ के ढेले, पशु मल आदि हैं ।

(ख) "कार्बनिक पदार्थ" के अंर्गत छिलका, भूसी, अपतृण बीज और अन्य अखाद्य दाने आदि हैं ।

(२) "अन्य खाद्यान्न" से ऐसे खाद्यान्न से जो विचाराधीन है, भिन्न कोई भी खाद्यान्न अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत तिलहन भी है)

(३) "क्षतिग्रस्त दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो अंकुरित हो गए हैं या गर्मी, जीवाणु, आर्द्रता या मौसम के परिणामस्वरुप आंतरिक रुप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं अर्थात् अर्गट प्रभावित दाने और मींगी कृष्णिका युक्त दाने ।

(४) "टूटे हुए दाने" के अंतर्गत पूरे आकार के दलों के तीन चौथाई से कम और एक चौथाई से अधिक के टुकड़े हैं ।

(५) "टूटे हुए और विखंडित दाने" के अंतर्गत पूरे आकार के दलों की तीन चौथाई से कम के टुकड़े हैं ।

(६) "घुने हुए दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो दानों के लिए हानिकर कीटों द्वारा आंशिक रुप से या पूर्ण रुप से छिद्रित कर दिए गए हैं किन्तु इनके अंतर्गत जीवाणुओं द्वारा खाए गए दाने और उनके अंडों के धब्बे वाले दाने सम्मिलित नहीं है ।

(७) "जहरीले, विषाक्त और/या हानिकर बीज" से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो यदि मौजूद हों तो स्वास्थ्य पर हानिकारक या खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं, उनके ओरगनोलेप्टिक लक्षणों या तकनीकी अनुपालन पर प्रभाव डाल सकते हैं जैसे धतूरा (डी, फास्टुओसा लिन्न और डी. स्ट्रामोनियम लिन्न), दाना घोंघा (एग्रोस्टेमा) गिथागो एल, मचाई लैलियम रेम्यूलेनम लिन्न, आकरा (विशिया स्पीशीज)

(फा.सं.-१८०११/२/२००१-एम.-II)

पी०के० अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)